संख्या-5/2017/304/12-5-2017-सा0-14/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 27 अप्रैल, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को व्यय वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी.ए.(1)14/वित्तीय स्वीकृति 2017-18, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 587.96 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 234.43 लाख मात्र को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक	**प्राविधान 2017-18**	**स्वीकृति धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म		
109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण		
04-रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान		
20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	103.58	43.16
31-सहायता अनुदान सामान्य(वेतन) 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	459.06 25.32	191.27 0
योग-	587.96	234.43

(रूपये दो करोड़ चौतीस लाख तेतालिस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

3- उक्त अनुदान की धनराशि का देयक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा। निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे।

4- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरण फेंजिग के आधार पर सुनिश्चित की जाय। जहाँ तक संभव हो व्यय की फेंजिग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

5- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-04-रहमानखेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या-5/2017/304(1)/12-5-2016, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
3. निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (वित्त-आय) अनुभाग-1
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अनुभाग अधिकारी, कृषि अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।